निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या-33 वर्ष 2016-17 यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, पौड़ी गढ़वाल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्षा द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, पौड़ी गढ़वाल** के माह 04/2013 से 10/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो **श्री राम सनेही एवं श्री एस0के0सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी** द्वारा दिनांक **25.11.2016 से 29.11.2016** तक **श्री पी0सी0श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अधिकारी** के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मक : इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री टी0एस0नेगी एवं श्री राम सनेही, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 15.06.2013 से 20.06.2013 तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2010 से 03/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2013 से 10/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: **जिला पौड़ी**

(इकाई द्वारा संचालित योजनाओं सहित क्रियाकलाप तथा भौगोलिक अधिकार क्षेत्र बताया जाय)

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः-

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2013-14	-	-	657370	657370	1645957	1645957	-	-
2014-15	-	-	886952	886952	1599623	1599623	-	-
2015-16	-	-	1129406	1129406	2672814	2672814	-	-
2016-17 exp- 10/2016	-	-	701700	340693	2257000	1073128	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय आधिक्य (+)	बचत (-)

(यदि लेखापरीक्षा अवधि तीन वर्ष से अधिक हो तो सम्पूर्ण अवधि का बजट आवंटन एवं व्यय विवरण अंकित किया जाय)

(iii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई **कार्यालय जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, पौड़ी गढ़वाल 'सी'** श्रेणी (जिस श्रेणी के अन्तर्गत इकाई आती है, उसे इंगित किया जाय) की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः संलग्न

(संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाय)

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि :** लेखापरीक्षा में

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .लेखापरीक्षण दिश निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाय) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, पौड़ी गढ़वाल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **09/2013 एवं 07/2015** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्त्यां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की **धारा 14** लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

(इस भाग में नियमितता से सम्बन्धित मामले/विशिष्ट विषयों के मामले एवं औचित्य से सम्बन्धित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित किये जाय)

. . . . . शून्य...

.....

भाग-II 'ब'

(इस भाग में नियमितता तथा औचित्य दोनों से सम्बन्धित प्रासंगिक लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित होंगे। यदि सम्भव हो, तो लेखापरीक्षा निष्कर्षों को उनके महत्व तथा विशिष्टता के आधार पर घटते क्रम में बनाया जाय)

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-1 धनराशि ` 980600/- की प्राप्ति रसीद प्राप्त न होना।

कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी पौड़ी की आर्थिक गणना वर्ष 2013-14 की पत्रावली की लेखापरीक्षा जांच में पाया कि निदेशालय के पत्र संख्या - 9102 /3-ले-(12) आ0ग0 (षष्टम) बजट/2013-14 दिनांक 14.11.2013 के द्वारा आर्थिक गणना के अन्तर्गत सुपरवाइजरों व चार्ज अधिकारी का मानदेय वितरित करने हेतु जनपद के निम्नलिखित विकास खण्डों व शहरी स्थानीय निकायों की धनराशि ` 980600/- बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मानदेय वितरित किया गया जिसका विवरण निम्न है।

क्र.सं0	विकास खण्ड/शहरी स्थानीय निकाय	सुपरवाइजर हेतु मानदेय सं0		चार्ज अधिकारी का मानदेय	बैंक ड्राफ्ट की धनराशि
1	खण्ड विकास अधिकारी, पौडी	38	दर ` 2200 प्रति ` 83600	` 4000	` 87600
2	खण्ड विकास अधिकारी कल्जीखाल	46	` 101200	` 4000	` 105200
3	खण्ड विकास अधिकारी, पाबौ	28	` 61600	` 4000	` 65600
4	खण्ड विकास अधिकारी, दुगड्डा	60	`132000	` 4000	` 136000
5	खण्ड विकास अधिकारी, खिसू	28	`61600	` 4000	` 65600
6	खण्ड विकास अधिकारी, रिखणीखाल	-	-	` 4000	` 4000
7	खण्ड विकास अधिकारी, नैनीडांड़ा	-	-	` 4000	` 4000
8	खण्ड विकास अधिकारी, बीरोखाल	-	-	` 4000	` 4000
9	खण्ड विकास अधिकारी, द्वारीखाल	-	-	` 4000	` 4000
10	खण्ड विकास अधिकारी, थैलीसैण	-	` 64300	` 4000	` 68300
11	खण्ड विकास अधिकारी,जहरीखाल	-	-	` 4000	` 4000
12	खण्ड विकास अधिकारी, यमकेश्वर	40	`88000	` 4000	` 92000

13	खण्ड विकास अधिकारी, पोखड़ा	24	` 52800	` 4000	` 56800
14	खण्ड विकास अधिकारी, एकेश्वर	-	-	` 4000	` 4000
15	खण्ड विकास अधिकारी, कोट	46	` 101200	` 4000	` 105200
16	वन क्षेत्र	11	` 24200	` 4000	` 28200
17	अधि0 अधि0 नगरपालिका पौड़ी	08	` 17600	` 4000	` 21600
18	अधि0 अधि0 नगरपालिका, श्रीनगर	06	` 13200	` 4000	` 17200
19	अधि0 अधि0 नगरपालिका, दुगड्डा	02	` 4400	` 4000	` 8400
20	अधि0 अधि0 नगरपालिका, छावनी परिषद लैन्सडाऊन	02	` 4400	` 4000	` 8400
21	अधि0 अधि0 नगरपालिका, कोटद्वार	10	` 17100	` 4000	` 21100
22	पदम सुखरान (से0टा0)	03	` 6600	` 4000	` 10600
23	काशीपुर (से0टा)	03	` 6600	` 4000	` 10600
24	जोंक (से0टा0)	01	` 2200	` 4000	` 6200
25	अर्थ एवं संख्याधिकारी, पौड़ी	-	-	` 10000	` 10000
26	अर्थ एवं संख्याधिकारी पौडी के कार्यालयों के 3 सहायकों का मानदेय	-	-	` 18000	` 18000
27	उपनिदेशक अर्थ एवं संख्या गढ़वाल मण्डल पौडी हेतु मानदेय	-	-	` 14000	` 14000
			842600	**138000**	**980600**

उपरोक्त 27 विकासखण्ड/शहरी स्थानीय निकाय व अन्य कार्यालयों को मिलाकर कुल धनराशि ` 980600/- मानदेय के रूप में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से वितरित की गयी थी लेकि लेखापरीक्षा अवधि तक विभाग वितरित की गयी धनराशि का प्राप्ति रसीद उपलब्ध नहीं कराई गयी जिससे यह ज्ञात नहीं हो पा रहा कि पात्र कर्मचारी/अधिकारी को मानदेय की धनराशि प्राप्त हुई है या नहीं।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि वितरित ध्धनराशि की प्राप्ति रसीद अभी कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्ति रसीद सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त कर उपलब्ध करा दी जायेगी। विभाग द्वारा दिया गया उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है। क्योंकि मानदेय की धनराशि वर्ष 2013-14 में वितरित की गयी थी। लेकिन प्राप्ति रसीद अभी तक विभाग को प्राप्त नहीं हुई।

अतः धनराशि ` 980600/- की प्राप्ति रसीद कार्यालय द्वारा उपलब्ध न कराने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-2 ` 6.36 लाख व्यय के बावजूद परियोजना का समय से पूर्ण न होना एवं 1.63 लाख का अनियमित व्यय।

कार्यालय जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी के 'नवाचार निधि' से सम्बन्धित संचालित परियोजनाओं की जांच में जो तथ्य प्रकाश में आये, उनका विवरण नीचे दर्शाया गया है-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	संस्था का नाम	परियोजना की स्वीकृति (दिनांक)	राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा परियोजना की स्वीकृत लागत (` लाख में)	संस्था को वर्तमान तक प्रदान की गयी धनराशि (` लाख में) व दिनांक
01	Backyard poultry development project through establishment of poultry mother unit	craggy co-operative society Pauri	24.07.2014	4.97	1.49 (26.06.2015) 2.00 (30.03.2016) **3.49**
02	Smart class solution in selected schools in Pauri Garhwal	IL&FS educations & technology services ltd. (IETS), 101 Rajpur Road, Dehradun	15.01.2016	5.44	1.63 (13.07.2016)
03	Emergency Medical First Aid Treatment utilizing ancient ayurvedic techniques & use natural herbs along with E leaving program in Govt. schools including interactive sessions in	Sprit Yoga foundation 24 Kamla Nagar, Dehradun	15.01.2016	9.59	2.87 (24.06.2016)

	Yoga.				

प्रथम परियोजना की कार्यावधि 01 वर्ष थी और तृतीय परियोजना की कार्यावधि 06 माह थी। लेखापरीक्षा तिथि तक दोनों परियोजनायें पूर्ण नहीं हुयी थी। द्वितीय परियोजना में संस्था को ` 1.63 लाख प्रदान किये गये थे, परन्तु संस्था द्वारा क्रय समिति' में जिला स्तरीय कमेटी से सदस्य नामित किये बगैर अपने स्तर पर सामग्री क्रय की गयी थी। जो कि निदेशालय एवं वित्तीय नियमों के विपरीत था।

इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि प्रथम परियोजना में संस्था द्वारा परियोजना स्थल पशुपालन विभाग से उपलब्ध कराया जाना था जो उपलब्ध नहीं कराया गया, अतः परियोजना में विलम्ब हुआ। तृतीय परियाजना में निदेशालय द्वारा निर्धारित की गयी अवधि औपचारिकता पूर्ण होने के उपरान्त लागू होगी, तभी आगामी किश्तों का भुगतान होगा।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि निदेशालय ने तृतीय परियोजना के लिए अवधि अप्रैल 2016 में निर्धारित कर दी थी, जबकि प्रथम किश्त जून 2016 में संस्था को निर्गत की गयी। प्रथम परियाजना में दो किश्तों के भुगतान के बावजूद लेखापरीक्षा तक परियोजना पूर्ण नहीं हो पायी थी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-3 नवाचार की रोकड़बही व बैंक पासबुक में धनराशि ` 178170.60/- का अन्तर पाया जाना।

कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी पौडी की नवाचार योजना की रोकड़बही व बैंक पासबुक की लेखापरीक्षा जांच में पाया कि विभाग की रोकड़बही में दिनांक 30.08.2016 को Opening Balance ` 5074170/- था जिसमें से दिनांक 30.08.2016 को CLG Himalayan Education की ` 156000/-

का भुगतान करने के उपरान्त ` 4918170/-दर्शाया गया जबकि बैंक पासबुक में दिनांक 30.08.2016 की चैक संख्या-008379 के द्वारा CLG Himalayan Education की धनराशि ` 156000/- का भुगतान करने के उपरान्त धनराशि ` 4739999.40 दर्शायी गयी इस प्रकार रोकड़बही व बैंक पासबुक मे ंधनराशि ` 1781701.60 का अन्तर आया। इस सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि नवाचार की कैशबुक में त्रुटिवश कुछ भुगतान की प्रविष्टी छूट गई थी जिस कारण बैंक पासबुक व कैशबुक में अन्तर आया है जिसे पुनः जांचकर पूर्ण करने के उपरान्त सम्प्रेक्षा दल को अवलोकित करा दिया जायेगा। विभाग द्वारा दिया गया उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा यदि रोकड़बही व बैंक पासबुक में की गयी प्रविष्टी का पूर्व में मिलान किया गया होता तो यह उक्त अन्त न आता।

अतः नवाचार की रोकड़बही व बैंक पासबुक में आयी धनराशि ` 178170.60 का अन्तर संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

(इस भाग में विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
	Nil		

(इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा दल द्वारा विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या निम्न प्रारूप में दो प्रतियों में प्राप्त कर अपनी टीका सहित भाग-III के नीचे लगाकर निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ मूल रूप में संलग्न कर मुख्यालय को प्रेषित की जाय। मुख्यालय पर सम्बन्धित क्षेत्र द्वारा अनुपालन आख्या विचारोपरान्त वर्गाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करते समय निस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में से हटा दिया जाय। मात्र अनिस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में रखा जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की	अभ्युक्ति

संख्या	लेखापरीक्षा प्रेक्षण		टिप्पणी	
				-
	Nil			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

.....कोई नहीं .....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, पौड़ी गढ़वाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये :

(i) **शून्य**

(ii)

(iii)

2. **सतत् अनियमिततायें :**

(i) **शून्य**

(ii)

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	सुश्री चित्रा	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी,	25.09.12	03.07.15
2.	श्री निर्मल कुमार शाह	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी,	04.07.15	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, पौड़ी गढ़वाल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/उपमहालेखाकार (सम्बन्धित क्षेत्र का नाम) को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र